



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjkhk@jharkhandmail.gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-61/2017-268 दिनांक : 23/2/18

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

उप निदेशक, व्याघ्र परियोजना, उत्तरी वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/दक्षिणी वन प्रमंडल, मेदिनीनगर

वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल/ बोकारो वन प्रमंडल/धनबाद वन प्रमंडल/रामगढ़ वन प्रमंडल/ चतरा उत्तरी वन प्रमंडल/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चर ऑपरेशन" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन-वर्द्धन कार्य हेतु **रु0 344.671 (तीन करोड़ चौवालीस लाख सड़सठ हजार एक सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-08/2018-43/स्वी0 व0प0 दिनांक 20.02.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-08/2018-89/आ0 व0प0 दिनांक 20.02.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष- 40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 344.671 (तीन करोड़ चौवालीस लाख सड़सठ हजार एक सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789400103	320.021
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789400323	24.650
कुल :-		344.671

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की

राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-2 पर एवं स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601789400103 एवं 19S240601789400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध परिशिष्ट-1 के अनुरूप प्रमंडलों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा। व्याघ्र परियोजना/ वन्यप्राणी आश्रयणियों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक से अगर कोई अनुमति अनिवार्य है, तो कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी उसे प्राप्त कर लेंगे।

6. Silviculture operation की योजना के अंतर्गत बाँस बखार की सफाई के लिए व्यय हेतु एक हे० में 200 बखार की संख्या मानक मानी गई है एवं उसी अनुरूप राशि का व्यय किये जायेंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

10. योजना का सूत्रण स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति के उपरांत किया गया है।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं० 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।
16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं०-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार



कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-61/2017-268 दिनांक- 23/2/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, व्याघ्र परियोजना, पलामू/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ दुमका/ हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल बोकारो/ गिरिडीह/ देवघर/ चतरा/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-61/2017-268 दिनांक- 23/2/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/ देवघर/ गिरिडीह/ बोकारो/ धनबाद/ रामगढ़/ चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जानेवाली "सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन-वर्द्धन कार्य हेतु प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्रम सं०	प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	उप निदेशक, व्याघ्र परियोजना, उत्तरी वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	190	41.934	3.230	45.164
2	उप निदेशक, व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	195	43.037	3.315	46.352
3	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	190	41.934	3.230	45.164
4	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	45	9.932	0.765	10.697
5	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	70	15.449	1.190	16.639
6	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	170	37.520	2.890	40.410
7	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	170	37.520	2.890	40.410
8	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	150	33.105	2.550	35.655
9	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	170	37.520	2.890	40.410
10	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	100	22.070	1.700	23.770
सकल योग		1450	320.021	24.650	344.671

अपर प्रधान मुख्य वन सहायक, विकास
झारखण्ड, राँची।

“सिल्वीकल्चर ऑपरेशन योजना” के अंतर्गत बाँस बखारों की सफाई हेतु वन-वर्द्धन के कार्यों की दर तालिका

मजदूरी दर – 229.90 रु0
प्रति 200 बाँस बखार (मानक संख्या प्रति हे0)

(राशि रुपये में)						
क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	मानव दिवस (प्रति हे0)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 229.90					
1	सर्वे, सीमांकन एवं बखार का नंबरिंग	3	689.70	0.00	689.70	
2	बाँस बखारों (Clumps) की सफाई एवं Silviculturally available बाँसों का विदोहन कार्य (200 बखार प्रति हे0 की मानक संख्या से)	40	9196.00	200.00	9396.00	बड़े बाँस बखारों के सुगम विकास हेतु आवश्यकतानुसार बखार को दो या अधिक भाग में विभक्त करना।
3	वनो में आंतरिक अग्नि रेखा की सफाई, 5 मीटर चौड़ा (प्रत्येक 250 मीटर पर) एवं स्थल से सफाई किए गए बाँसों को हटाना	10	2299.00	0.00	2299.00	
4	बखारों के चारों ओर 1.5 फीट गोलाई में निकोनी एवं मिट्टी को हल्का करना तथा खाद डालना	20	4598.00	1500.00	6098.00	एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा
5	राइजोम प्रिजरवेशन हेतु बखारों में कोड़नी/निकोनी क्षेत्र के बाहर 1 फीट गोलाई में मिट्टी लेकर बखारों पर चढ़ाना	20	4598.00	0.00	4598.00	एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा
6	सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)	3	689.70	0.00	689.70	सफाई के दौरान निकले राइजोम को उन खाली स्थलों पर लगाना, जहाँ बाँस बखारों की संख्या 200 प्रति हे0 से कम है।
	कुल	96	22070.40	1700.00	23770.40	
B	वित्तीय वर्ष 2018-19 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 264.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार मानते हुए					
1	सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)	12	3168.00	0.00	3168.00	
	कुल	12	3168.00	0.00	3168.00	
	सकल योग –	108	25238.40	1700.00	26938.40	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना" के अंतर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन-वर्द्धन कार्य का स्थल विवरणी

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना/ थाना सं०	निर्धारित भौतिक लक्ष्य (हे० में)
i	ii	iii	iv	v	vi
1	उप निदेशक, व्याघ्र परियोजना, उत्तरी वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	बारेसनर			50
					50
		गारु पूर्वी			40
					50
					50
					50
		गारु पश्चिमी			50
					50
					50
		महुआडार			50
			50		
योग:—					490
2	उप निदेशक, व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	बेतला			100
					90
		छिपादोहर पूर्वी			100
					50
		छिपादोहर पश्चिमी			50
					100
योग:—					490
3	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर		देवघर-132	200
				देवघर-862	
योग:—					200
4	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	जमुआ वनरोपण पक्षेत्र		जमुआ-564	70
योग:—					70
5	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	कुन्दा	कुन्दा	प्रतापपुर-138	50
		हंटरगंज	हंटरगंज	हंटरगंज-283	50
योग:—					100
6	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	टण्डवा	टण्डवा	टण्डवा-22	50
				टण्डवा-14	50
योग:—					100
सकल योग:—					1450

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-61/2017/268

दिनांक - 23-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	99322	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA रुपये इकतालीस लाख तिरनावे हजार चार सौ DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	4,193,400.00
2	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	99323	PLMFOR068 MAHALING रुपये तीरयालीस लाख तीन हजार सात सौ DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED	4,303,700.00
3	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	99324	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI रुपये इकतालीस लाख तिरनावे हजार चार सौ DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	4,193,400.00

12,690,500.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड छब्बीस लाख नब्बे हजार पाँच सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. PR. DIV. AN. H. HAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	99325	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	993,200.00 रुपये नौ लाख तिरनावे हजार दो सौ
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	99326	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR DIV.	1,544,900.00 रुपये पंद्रह लाख चवालीस हजार नौ सौ
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
6	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	99327	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	3,752,000.00 रुपये सैतीस लाख बावन हजार
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			

योग:

6,290,100.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड नवासी लाख अस्सी हजार छः सौ

18,980,600.00



(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. P.S. DIV. ANAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	99328	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	3,752,000.00 रुपये सैतीस लाख बावन हजार
8	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	99329	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV FOREST OFFICER	3,310,500.00 रुपये तैतीस लाख दस हजार पॉच सौ
9	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	99330	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	3,752,000.00 रुपये सैतीस लाख बावन हजार

योग:		10,814,500.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड सित्तानवे लाख पिनचानवे हजार एक सौ	29,795,100.00


(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. P&A DIV. RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	99331	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	2,207,000.00 रुपये बाइस लाख सात हजार
11	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	99333	PLMFOR068 MAHALING DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED	331,500.00 रुपये तीन लाख इकतीस हजार पाँच सौ
12	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	99334	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	323,000.00 रुपये तीन लाख तेइस हजार

योग:

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड छब्बीस लाख छप्पन हजार छः सौ

2,861,500.00

32,656,600.00



(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. COMPTROLLER & ASST. COMPTROLLER

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	99335	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	323,000.00 रुपये तीन लाख तेइस हजार
14	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	99336	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DEO.GIRIDIH EAST FOR.DIV.	76,500.00 रुपये छहत्तर हजार पाँच सौ
15	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	99337	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	119,000.00 रुपये एक लाख उन्नीस हजार

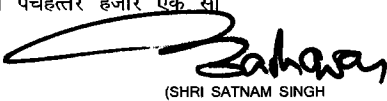
योग:

518,500.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड इकतीस लाख पचहत्तर हजार एक सौ

33,175,100.00



(SHRI SATNAM SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	99338	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	289,000.00 रुपये दो लाख नवासी हजार
17	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	99339	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	289,000.00 रुपये दो लाख नवासी हजार
18	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	99340	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	255,000.00 रुपये दो लाख पचपन हजार

योग: 833,000.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड चालीस लाख आठ हजार एक सौ 34,008,100.00


(SHRI SATNAM SINGH)

ADD. POST OFFICE, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं ध्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	99341	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	289,000.00 रुपये दो लाख नवासी हजार
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
20	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	99342	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	170,000.00 रुपये एक लाख सत्तर हजार
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			

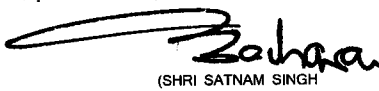
योग:

459,000.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड चवालीस लाख सड़सठ हजार एक सौ

34,467,100.00


(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.PB.DIVANANRSHAND